उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-13

संख्या-5/2022/126/एक-13-2022-1-13099/3630/2020

लखनऊ : दिनांक 04 अगस्त, 2022

अधिसूचना

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल एतद्द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 51 के अधीन गठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन लंबित मामलों के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन न्यायालय के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए प्राधिकरण की अधिकारिता की सीमाओं, जिनके सम्बन्ध में वे विशेष न्यायिक अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे, के भीतर पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती हैं।

आज्ञा से,

(सुधीर गर्ग)

प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-13

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 5/2022/126/Ek-13-2022-1-13099/3630/2020 dated 04 August, 2022:

Notification

No-5/2022/126/Ek-13-2022-1-13099/3630/2020
Lucknow, Dated 04 August, 2022

In exercise of the powers conferred under clause (d) of section 3 of the Land Acquisition Act , 1894 (Act No. 1 of 1894) (hereinafter referred to as the said Act) , the Governor hereby appoints presiding Officers of the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authorities constituted under section 51 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 as special judicial officers to perform functions of the Court under the said Act with respect to pending cases under the said Act within limits of the j urisdiction of the Authority of which they act as presiding officers.

By Order,
(Sudhir Garg)
Principal Secretary.

संख्या-126/एक-13-2022-1-13099/3630/2020, दिनांक 04 अगस्त, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में प्रकाशित कराने एवं उक्त की 1000 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
4. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश। **(द्वारा जिलाधिकारी)**
6. पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, आगरा/मेरठ/गौतमबुद्ध नगर/बरेली/मुरादाबाद/लखनऊ/कानपुर/झांसी/प्रयागराज/वाराणसी/अयोध्या/बस्ती/गोरखपुर। **(द्वारा जिलाधिकारी)**
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उपसा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
14. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
15. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(घनश्याम चतुर्वेदी)

अनु सचिव